अनिल क्षेत्रपाल**,** जे.**,** के सामने **.**

जय साई राम स्टील प्राइवेट लिमिटेड।— याचिकाकर्ता

बनाम

रमेश सिंगला—प्रतिवादी

सी. आर. संख्या नं. 952 का 2021

4 मई, 2021

भारत का संविधान**, 1950-**अनुच्छेद **227-**सिविल प्रक्रिया संहिता**, 1908-**ओ**. 7 Rl.11-**न्यायालय शुल्क अधिनियम**, 1870-**एस**. 7-**एड-वेलोरम कोर्ट शुल्क-आयोजित**,** यह स्पष्ट है कि अभियोक्ता ने रुपये**. 6,35,00,000/-** की निश्चित राशि का दावा किया है और मुकदमा धन की वसूली के लिए है**,** इसलिए**,** अधिनियम की खंड **7 (**आई**)** के अनुसार**,** एड वेलोरम कोर्ट शुल्क दावा की गई राशि के अनुसार देय है-उचित वाद में दावा की गई राशि पर एड-वेलोरम कोर्ट शुल्क का भुगतान करने का निर्देश।

अभिनिर्धारित किया कि, इस प्रकार , यह स्पष्ट है कि जब भी मुकदमा धन के लिए होता है, तो न्यायालय शुल्क दावा की गई राशि के अनुसार देय होता है।आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत न्यायालय को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वाद की सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने का अधिकार है। यह स्पष्ट है कि अभियोक्ता ने 6,35,00,000/- रुपये की एक निश्चित राशि का दावा किया है। शिकायत में की गई प्रार्थना को ध्यान से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि अभियोक्ता ने ऊपर उल्लिखित राशि की वसूली की मांग की है। ऐसी स्थिति में, अभियोक्ता चतुराई से मसौदा तैयार करके न्यायालय शुल्क के भुगतान से खुद को नहीं बचा सकता है। वास्तव में, मुकदमा वसूली के लिए है, हालांकि, अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा के रूप में शैलीबद्ध है। मुकदमापत्र की सामग्री को पढ़ने से, मुकदमा राशि की वसूली के लिए है, हालांकि चतुराई से अनिवार्य निषेधाज्ञा के अनुदान के लिए एक मुकदमा के रूप में पेश किया गया है।

(पैरा 10)

सुशील जैन, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

अनिल क्षेत्रपाल, जे.।

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर इस पुनरीक्षण याचिका द्वारा से, याचिकाकर्ता-मुकदमाी अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), सोनीपत द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पारित आदेश की सत्यता पर सवाल उठाता है, जिसमें उसे मुकदमे में दावा की गई राशि पर विज्ञापन-मूल्यांकन न्यायालय शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

(2) कुछ तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुकदमाकारों को मुकदमे में उनकी स्थिति के बारे में सूचित किया जा रहा है।विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 37,38 और 39 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के साथ अनिवार्य निषेधाज्ञा। अभियोक्ता एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यह दावा किया जाता है कि कारखाने में नुकसान हुआ था जिसके कारण प्रतिवादी से Rs.50,00,000/- की राशि उधार ली गई थी। इसके बाद, अभियोक्ता कंपनी सुचारू रूप से नहीं चल सकी और प्रतिवादी के माध्यम से सुरेंद्र कुमार नामक व्यक्ति से 50,00,000/- रुपये की अन्य राशि उधार ली गई। हालाँकि, अभियोक्ता उपरोक्त राशि का भुगतान भी नहीं कर सका। इस प्रकार, अभियोक्ता कंपनी के निदेशक द्वारा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मुरथल रोड, सोनीपत में स्थित घर के संबंध में बेचने का समझौता निष्पादित किया गया था। जिसके अनुसार सुरेंद्र की बहन के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था। यह दावा किया गया था कि घर की कुल कीमत Rs.90,00,000/- थी, जिसमें से Rs.50,00,000/- को समायोजित किया गया था और Rs.40,00,000/- की शेष राशि का भुगतान अभियोक्ता की ओर से प्रतिअभियोक्ता को सुरेंडर द्वारा किया जाना था। इसके बाद, अभियोक्ता ने प्रतिअभियोक्ता के पक्ष में कारखाने के नीचे की भूमि का बिक्री विलेख निष्पादित किया। हालाँकि, उस पर निर्मित भवन और मशीनरी का स्वामित्व अभियोक्ता के पास ही रहा। अभियोक्ता और प्रतिअभियोक्ता के बीच एक अलग समझौता किया गया था, जिसके अनुसार अभियोक्ता प्रतिअभियोक्ता को किराए के रूप में Rs.2,15,000/-रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था। आगे यह भी सहमति हुई कि यदि अभियोक्ता भुगतान करने में विफल रहता है, तो प्रतिअभियोक्ता को कारखाने के नीचे की भूमि का खाली कब्जा मिल जाएगा और अभियोक्ता को मशीनों और अन्य संपत्तियों को हटाने की स्वतंत्रता होगी।

(3) वादपत्र के पैरा 6 में, वादी का अभिवचन निम्नानुसार हैः-

"6. कि 05.02.2021 पर, अभियोक्ता को पता चला कि प्रतिअभियोक्ता समाज के कुछ बुरे तत्वों के साथ कारखाने में आया और ताला तोड़ा और Rs.1,65,00,000/-रुपये

की राशि के स्क्रैप को कारखाने के परिसर से हटा दिया और इसी तरह उन्होंने Rs. 3,35,00,000/- की मशीनरी को भी हटा दिया और Rs. 35.00 लाख रुपये की राशि के सांचे को भी हटा दिया और 1.00 करोड़ रुपये की अन्य वस्तुओं को भी हटा दिया, जो उक्त कारखाने के परिसर के अंदर पड़ी थीं। इस तरह, प्रतिअभियोक्ता ने सहमति के बिना और अभियोक्ता की अनुपस्थिति में कारखाने की सभी वस्तुओं को हटा दिया।"

(4) मुकदमा में की गई प्रार्थना इस प्रकार हैः-

"इसलिए, यह विनम्रतापूर्वक माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की जाती है कि को निर्देशित करने वाले अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री प्रतिअभियोक्ता को उन सभी वस्तुओं का भुगतान करने का निर्देश दे, जिन्हें उसके द्वारा हटा दिया गया है, जिनमें से अभियोक्ता के पैरा संख्या 6 में दिए गए विवरण और आगे प्रार्थना की गई है कि प्रतिअभियोक्ता को कारखाने के परिसर में हस्तक्षेप करने से रोका जा सकता है और अभियोक्ता के कारखाने के परिसर से किसी भी वस्तु को जबरन और अवैध रूप से हटाने से भी रोका जा सकता है, कृपया अभियोक्ता के पक्ष में और प्रतिअभियोक्ता के खिलाफ पारित किया जा सकता है। मुकदमा की लागत भी दी जानी चाहिए और कोई अन्य राहत भी दी जानी चाहिए, जिसे यह माननीय न्यायालय दी गई परिस्थितियों में उचित समझता है।"

(5) प्रतिवादी ने शिकायत की अस्वीकृति के लिए आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर किया।

(6) विद्वान निचली अदालत ने पाया कि अभियोक्ता 6,35,00,000/-रुपये की एक निश्चित राशि की वसूली करना चाहता है और इसलिए, दावा की गई राशि पर अतिरिक्त-मूल्य न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना और उनकी समर्थ सहायता से पेपर बुक का अध्ययन किया।

(8) याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील का तर्क है कि अभियोक्ता ने अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया था और इसलिए, निचली अदालत ने उसे अदालत शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देने में गलती की। वह अपने तर्क के समर्थन में अमनदीप सिद्धू बनाम अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड और अन्य[1], शिव कुमार शर्मा बनाम संतोष कुमारी[2] और मेसर्स मेटिकुलस फार्मास्युटिकल बनाम पवन कुमार[3], में पारित निर्णयों पर निर्भर है।

(9) शुरुआत में, यह ध्यान दें महत्वपूर्ण है कि न्यायालय शुल्क की राशि न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (संक्षेप में 'अधिनियम') द्वारा विनियमित की जाती है। खंड 7 मुकदमा में देय शुल्क की राशि की गणना करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है। जहां मुकदमा नुकसान या मुआवजे, या रखरखाव अवशिष्ट, वार्षिकी, या समय-समय पर देय अन्य राशियों के लिए मुकदमे सहित धन के लिए है, खंड 7 (i) यह बताती है कि देय न्यायालय शुल्क की राशि की गणना कैसे की जानी चाहिए।खंड 7 (i) को निम्नानुसार निकाला गया हैः-

(i) धन के लिए मुकदमों में (नुकसान या मुआवजे के लिए मुकदमों, या रखरखाव अवशिष्ट, वार्षिकी, या समय-समय पर देय अन्य राशियाँ)-दावा की गई राशि के अनुसार;-

(i) धन के लिए मुकदमों में (क्षति या मुआवजे के लिए मुकदमों, या रखरखाव अवशिष्ट, वार्षिकी, या समय-समय पर देय अन्य राशियों सहित)-दावा की गई राशि के अनुसार; "रखरखाव और वार्षिकी के लिए।

(10) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब भी मुकदमा धन के लिए होता है, तो न्यायालय शुल्क दावा की गई राशि के अनुसार देय होता है। आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत अदालत को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वाद की सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने का अधिकार है।यह स्पष्ट है कि अभियोक्ता ने 6,35,00,000/-रुपये की एक निश्चित राशि का दावा किया है। शिकायत में की गई प्रार्थना को ध्यान से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि अभियोक्ता ने ऊपर उल्लिखित राशि की वसूली की मांग की है। ऐसी स्थिति में, अभियोक्ता चतुराई से मसौदा तैयार करके न्यायालय शुल्क के भुगतान से खुद को नहीं बचा सकता है। वास्तव में, यह मुकदमा वसूली के लिए है, हालांकि, अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा के रूप में शैलीबद्ध है। वादपत्र की सामग्री को पढ़ने से पता चलता है कि मुकदमा राशि की वसूली के लिए है, हालांकि चतुराई से अनिवार्य निषेधाज्ञा देने के लिए एक मुकदमे के रूप में पेश किया गया है।

(11) अब, आइए हम उन निर्णयों की जांच करें जिन पर भरोसा किया गया है। अमनदीप सिद्धू (उपरोक्त) में, वादी-याचिकाकर्ता ने अपने नियोक्ता-प्रतिवादी संख्या 1 की लापरवाही के कारण उसे लगी चोटों के लिए रु. 1,00,00,000/- की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया था।ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय शुल्क की राशि मुआवजे की राशि के अंतिम निर्धारण पर निर्भर होगी। न्यायालय की सुविचारित राय में, उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

(12) शिव कुमार शर्मा (उपरोक्त) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि दोनों पक्षों ने परस्पर समझौतों के माध्यम से अपने स्वामित्व वाली संबंधित संपत्तियों के संबंध में बेचने के लिए समझौता किया था, लेकिन कोई बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया था, हालांकि समझौते पर आंशिक रूप से कार्रवाई की गई थी, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चूंकि किसी भी लाभ के लिए कोई हर्जाना नहीं मांगा गया था, इसलिए कोई विज्ञापन मूल्य अदालत शुल्क देय नहीं था। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि अपने लाभ के लिए हर्जाना मांगा गया होता, तो न्यायालय शुल्क देय होता। इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, उपरोक्त निर्णय, सबसे बड़े सम्मान के साथ, यह निर्धारित नहीं करता है कि जब न्यायालय को पता चलता है कि एक निश्चित राशि की वसूली की मांग की गई है, तब भी विज्ञापन मूल्यांकन न्यायालय का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

(13) याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया गया अंतिम निर्णय मेटिकुलस फार्मास्युटिकल (उपरोक्त) में है। उपरोक्त मामले में, अभियोक्ता ने मूल्य की दवा का स्टॉक वापस करने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए 7,56,000- रुपये. का मुकदमा दायर किया। उस मामले में, अभियोक्ता ने प्रतिअभियोक्ता को एक प्रेषक एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थना की गई थी। उन परिस्थितियों में, पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने माना कि विद्वान निचली अदालत आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदन को खारिज करने में सही था। अतः यह स्पष्ट है कि उपरोक्त निर्णय लागू नहीं होता है।

(14) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णयों का कोई उपयोग नहीं होता है। वर्तमान मामले में, वादपत्र को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि मुकदमा धन के लिए है और इसलिए, अधिनियम की खंड 7 (i) के अनुसार, विज्ञापन मूल्य अदालत शुल्क दावा की गई राशि के अनुसार देय है।

(15) उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनाया गया है।

(16) इसलिए पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी जाती है।

ऋतम्भरा ऋषि

1 (2017) 1 पी. एल. आर. 786 सहित,

2 (2007) 8 एससीसी 600

3 (2018)191 पी. एल. आर. 816

प्रदीप कुमार, अनुवादक

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।